


स्पीड पोस्ट

आवंटनादेश

प्रेषक

सेवा



संख्या-6/एफ1-304/17. श्र.सं.-

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

पटना, दिनांक:-

22-12-17

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या-2842 दिनांक 17.05.17 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 में 31 मार्च, 2018 तक व्यय हेतु आपकी अध्यक्षता में गठित "बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष" में जमा करने हेतु रु. 5000/- (रूपये पाँच हजार) मात्र प्रति बाल श्रमिक की दर से निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र. सं.	37-अनुग्रह अनुदान विषयशीर्ष	जिला का नाम	बाल श्रमिकों की संख्या	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	0103.37.01 अनुग्रह अनुदान	समस्तीपुर	04	20000	श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर के पत्रांक-1191 दिनांक-16.12.17 के आलोक में ।
2	तदैव	पूर्णियाँ	03	15000	श्रम अधीक्षक, पूर्णियाँ के पत्रांक-1168 दिनांक-15.12.17 के आलोक में ।
3	तदैव	मुजफ्फरपुर	01	5000	श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-1872 दिनांक-08.12.17 के आलोक में ।
4	तदैव	लखीसराय	01	5000	श्रम अधीक्षक, लखीसराय के पत्रांक-369 दिनांक-18.12.17 के आलोक में ।
5	तदैव	नवादा	08	40000	श्रम अधीक्षक, नवादा के पत्रांक-920 दिनांक- 16.12.17 के आलोक में ।
6	तदैव	पटना	03	15000	श्रम अधीक्षक, पटना के पत्रांक-3270 दिनांक-15.12.17 के आलोक में ।
	कुल योग		20	100000	

कुल आवंटित राशि ₹ 1,00,000/- (₹ एक लाख) मात्र ।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-428/वि0 दिनांक-31.03.17; पत्रांक-3002/वि0 दिनांक-26.04.2017 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को जाँच कर नियमानुसार किया जाय। आवंटित राशि से उन्ही विमुक्त बाल श्रमिक को लाभांशित किया जाय जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांशित नहीं किया गया हो ।
- आवंटित राशि से हुए व्यय का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में निकासी के उपांत अविलंब उपलब्ध करा दी जाय ।
- यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

गोपाल मोणा

(गोपाल मोणा)

श्रमायुक्त, बिहार

10-1-18

अमायुक्त, बिहार।
(गीपाल मीणा)

22/12/12

2. व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र का संधारण संबंधित शाखा प्रशाखा-01 द्वारा किया जायेगा।

को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भिजित।

पक्ष) दि. 21.12.17 के आलेख सं/बजट शाखा, प्रशाखा-6 (अम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा, प्रशाखा-06

अम अधीक्षक/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/संयुक्त अमायुक्त-01 एवं प्रशाखा-01 को उनके गै.सं.क्र.सं.-438(अम

/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप अमायुक्त/संबंधित

प्रतिनिधि-प्रधान सचिव के आदेश सचिव, अम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रांतीय अमायुक्त

शांकि:-6/एफ1-304/17 अमसं- पटना, दिनांक

अमायुक्त, बिहार।
(गीपाल मीणा)

22/12/12

प्रतिनिधि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भिजित।

पटना, दिनांक

शांकि:-6/एफ1-304/17 अमसं-